

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेडवा

श्री
 सरकार जरिये पटवारी
 हल्का
 राजस्व मुकद्दमा नं.
 अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

राजसाक्षनाम
 श्री
 वल्द
 निवासी
 विप्रार्थी
 जाति
 निर्णय दिनांक.....

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
 जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा के ख.न. में रकबा 10 बीघा
 किस्म पर संवत् 2036 खरीफ में काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है।
 अप्रार्थी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से
 तामिल हो चुका है अप्रार्थी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्रार्थी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार
 किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल
 में लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश
 दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगाया शस्ति के
 भूमि के वार्षिक लगान रूपये का गुणा रूपये
 अक्षरे आरोपित किये जाते हैं भू.अ. निरीक्षक हल्का
 को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को
 नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन में पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतु पटवारी हल्का
 एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

ब्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक.....
 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।



.....
 तहसीलदार सेडवा